
### Asian Culture B.A. Semester II

Paper I : South Asia (1870-1919)
Department of Western History
University of Lucknow

(Course Instructor: Prof. Abha Trivedi)

# **Indian Councils Act, 1909**

### **Central Legislative of Council:**




In 1906,with the victory of Liberal Party in General Elections in Britain, Liberal Philosopher John Morley became the Secretary of State for Indian domain. As he was a liberal, his intentions were to congregate all the liberal and Moderate Indian leaders. He tried to provide them with some brand new Provisions and reforms. Hence he appointed a Royal Commission under the Chairmanship of Charles Hobhouse.

The main objective of the Act of 1909 was to provide Indians with more representation in Legislative Councils, Central and Provincial both. Therefore, this Act is commonly known as Morley-Minto reforms. After the names of Secretary of State, John Morley and Viceroy Lord Gilbert John Minto.


#### The Expansion of Provincial Legislative Councils:

The numbers of Non-Official members of Provincial Legislative Councils were increased by the Provisions of this Act. With this Act, Non-official members were given majority in Leg.Councils. But, since the Governors of provinces could *NOMINATE* some non-official members, it gave them supreme authority over their councils. Hence, the Authority of Governors was still insurmountable. For example:

The provincial council of Madras had had 47 members.



The provincial council of Bombay



Besides this, the Governor could nominate 1 or 2 Special members, who would advise him on different matters. In 1909, there were 7 Provincial Councils.

Bengal- 52 members
Madras- 47 members
Bombay- 47 members
United Province- 47 members
East Benal and Assam- 41 members
Punjab- 25 members
Burma- 16 members

#### The rights of the members of Provincial Councils:

Provincial Council members could ask questions from Executive Council members. These questions could be regarding Central or Provincial matters. As a matter of fact, they could also ask some Complementary questions, but if Executive members would demand some time to answer, they had that time.

Provincial Council members had the right to discuss the Budget, make suggestions to it. They could also ask for some financial aid for Provinces, but to or not to give them those provisions, it was under Governor's authority. They could make suggestions on Financial matters but could not cast a vote.

All the financial matters were discussed in the council of Finance-minister. In this council, 50% members were Officially-nominated and the same were None-officially nominated.

**The Indirect Electorate System** was introduced under this Act. With this, Traders, Merchants, district board and Municipalities were provided with **Separate Representation**.

On the matters of Public Welfare, Provincial Council members could have had discussion, they could present a proposal, even cast a vote. But, the Governor could abate or Overrule or cancel some part of that proposal or the whole of it. The government was not bound to accept these proposals.

Provincial Council members had no right to have discussion on these matters: Foreign Affairs, the matters of Princely States, Expenditure on Railways, Debt and Interest, Court cases etc.

#### Merits of the Act of 1909:

- 1. The provisions of this act were way better than that of 1892's Council Act. With this Act, the government tried to make sure that some educated Indians have had the opportunity to participate in the Administration. And the government wanted to welcome their demands as far as it did go.
  - "Although we didn't have all which we expected by this Act, but gradually we would have all".
- 2. Most British newspapers of that time, called this act "more than enough". Muslim Community was glad with this Act as they were provided with Separate Electorate.
- 3. "The Indian representation" was given priority and two indian members were already appointed in the council of the Secretary of State, in 1907, viz, Krishna Gopal Gupta and Sayyed Hussain Bilagrami.

4. Satyendra Passana Sinha was appointed in the Executive Council of Viceroy, as the Advocate General of Bengal.

#### Demerits of the Act of 1909:

- 1. The system of Indirect Elections was erroneous. The reason was very clear, with the restriction of financial qualifications, only the rich could cast a vote. And the communal aspect is also remarkable, e.g. In muslim minority areas, A muslim who paid a tax of 3000 rupees per annum was qualified to cast a vote, whereas, a non-muslim could not cast a vote even if he paid a tax of over 1 lakh rupees.
- 2. The biggest blunder was the Separate Electorate system. It caused a great disaster in upcoming times.
- 3. The legislative councils were not able to make any pressure on the Executive councils, neither in Center, nor in the provinces. They could just make a suggestion, considering it or not, it was completely under Governors' authority (and Viceroy's in Center).
- 4. Though this Act somehow established fragments of the Parliamentary System, it was not more than a shadow of the Parliamentary system.
- 5. In the Center, Official members were in the majority, and the nominated members made them even more powerful. P.N. Masaldan mentions in his book, *Evolution of Provincial Autonomy in India* that Governor General's signature was mandatory to pass any bill, hence, Without his permission no reform could be executed.
- Gopal Krishna Gokhale criticised this Act for its demerits. Indian leaders knew that
  appointing indians in councils was just a camouflage, as there was no mention of
  Representative and Accountable government.
- 7. The Official members of the Central Legislature could not ask questions from the government, they could not cast a vote. They could not make any suggestion without pre-permission. They could not make a speech for a long time. They always opposed any progressive proposal of Non-official members.
- 8. European nominated members were practically official. They always supported the Government's decisions. Indian Landlords and Muslim only paid attention to their benifits. They were always loyal to the British Government.
- 9. This Act indirectly encouraged the Sikh community to raise voice for their separate electorate, who were expecting a reward for their loyalty to the government.


At last, Congress withdrew their support to this Act, because this act encouraged Communal matters. Muslim-league also backed off of their support because the Partition of Bengal was cancelled without their counsel. In 1916, Congress and Muslim League became allies under Lucknow Pact. Congress accepted the separate electoral demand of Muslim League and the League recognised Congress' supremacy.

1906 में, ब्रिटेन में आम चुनावों में लिबरल पार्टी की जीत के साथ, लिबरल जॉन मॉर्ले, भारतीय डोमेन के लिए राज्य सचिव बने। जैसा कि वह एक उदारवादी थे, उनके इरादे सभी उदारवादी भारतीय नेताओं को इकट्ठा करना था। उन्होंने उन्हें कुछ नए प्रावधान और सुधार प्रदान करने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने चार्ल्स हॉबर्स की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया।


1909 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विधान परिषदों, केंद्र और प्रांतीय दोनों परिषदों में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। इसलिए, इस अधिनियम को आमतौर पर राज्य सचिव जॉन मॉर्ले और वायसराय लॉर्ड गिल्बर्ट जॉन मिंटो के नाम पर मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है।

### प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार:

इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रांतीय विधान-परिषदों के गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इस अधिनियम के साथ, गैर-आधिकारिक सदस्यों को विधान-परिषदों में बहुमत दिया गया। लेकिन, चूंकि प्रांतों के गवर्नर कुछ गैर-सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकते थे, उन्हें अपनी परिषदों पर सर्वोच्च अधिकार दिया। इसलिए, गवर्नर की अधिकार शक्ति अभी भी अचूक थी। उदाहरण के लिए: मद्रास की प्रांतीय परिषद में 47 सदस्य थे।



# बंबई की प्रांतीय परिषद



इसके अलावा, प्रांतीय गवर्नर 1 या 2 विशेष सदस्यों को नामित कर सकता था, जो उसे विभिन्न मामलों पर सलाह देंगे। 1909 में, 7 प्रांतीय परिषदें थीं।

बंगाल- 52 सदस्य मद्रास- 47 सदस्य बॉम्बे- 47 सदस्य संयुक्त प्रांत- 47 सदस्य पूर्वी बंगाल और असम- 41 सदस्य पंजाब- 25 सदस्य बर्मा- 16 सदस्य

## प्रांतीय परिषदों के सदस्यों के अधिकार:

प्रांतीय परिषद के सदस्य कार्यकारी परिषद के सदस्यों से सवाल पूछ सकते हैं। ये प्रश्न केंद्रीय या प्रांतीय मामलों से संबंधित हो सकते हैं। तथ्य की बात के रूप में, वे कुछ पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन यदि कार्यकारी सदस्य जवाब देने के लिए कुछ समय की मांग करेंगे, तो उनके पास उस समय था। प्रांतीय परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने, इस पर सुझाव देने का अधिकार था। वे प्रांतों के लिए कुछ वित्तीय सहायता भी मांग सकते थे, लेकिन उन्हें उन प्रावधानों को मानना या न मानना, यह गवर्नर के अधिकार के तहत था। वे वित्तीय मामलों पर सुझाव दे सकते थे लेकिन वोट नहीं डाल सकते थे।

वित्त-मंत्री की परिषद में सभी वित्तीय मामलों पर चर्चा की जाती थी। इस परिषद में, 50% सदस्य आधिकारिक रूप से नामित किए जाते थे और उतने ही सदस्य अन-आधिकारिक तौर पर भी।

इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके साथ, व्यापारियों, जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं को अलग-अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था।

लोक कल्याण के मामलों पर, प्रांतीय परिषद के सदस्यों में चर्चा हो सकती थी, वे एक प्रस्ताव पेश कर सकते थे, यहां तक कि वोट भी डाल सकते थे। लेकिन, गवर्नर उस प्रस्ताव या इसके कुछ हिस्से को संशोधित अथवा पूर्ण रूप से अस्वीकार भी कर सकता था। सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं थी।

प्रांतीय परिषद के सदस्यों को इन मामलों पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं था: विदेशी मामले, रियासतों के मामले, रेलवे पर व्यय, ऋण और ब्याज, न्यायालय के मामले आदि।

# 1909 के अधिनियम के गुण:

इस अधिनियम के प्रावधान 1892 के परिषद अधिनियम की तुलना में बेहतर थे। इस अधिनियम के साथ, सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि कुछ शिक्षित भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अवसर दिया जाए। और जहां तक संभव हो, सरकार उनकी मांगों का स्वागत करना चाहती थी। "हालांकि हमारे पास वह सब नहीं था जिसकी हमें इस अधिनियम से उम्मीद थी, लेकिन धीरे-धीरे हमारे पास यह सब होगा"।- सुरेंद्रनाथ बनर्जी

उस समय के अधिकांश ब्रिटिश समाचार पत्रों ने इस अधिनियम को "पर्याप्त से अधिक" कहा। मुस्लिम समुदाय इस अधिनियम से खुश था क्योंकि उन्हें अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। "भारतीयों के प्रतिनिधित्व" को प्राथमिकता दी गई थी और दो भारतीय सदस्यों को पहले से ही राज्य सचिव की परिषद में 1907 में नियुक्त किया गया था, कृष्ण गोपाल गुप्ता और सैय्यद हुसैन बिलग्रामजी।

सत्येंद्र सिन्हा को बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था।

### 1909 के अधिनियम के मामले:

अप्रत्यक्ष चुनावों की प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। कारण बहुत स्पष्ट था, वित्तीय योग्यता के प्रतिबंध के साथ, केवल अमीर वोट डाल सकते थे, और सांप्रदायिक पहलू भी उल्लेखनीय है। मुस्लिम अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, एक मुस्लिम जिसने प्रति वर्ष 3000 रुपये का कर अदा किया, वह वोट डालने के लिए योग्य था, जबिक, एक गैर-मुस्लिम व्यक्ति 1 लाख रुपये से अधिक का कर चुकाने पर भी वोट नहीं डाल सकता था।

सबसे बड़ी गड़बड़ी "पृथक मतदाता प्रणाली" थी,जो आने वाले समय में एक बड़ी आपदा का कारण बनी।

विधान परिषदें न तो कार्यकारी परिषदों पर कोई दबाव बना पा रही थीं, न केंद्र में, न प्रांतों में। वे सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, या पूर्ण रूप से प्रांतों में गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में तथा केंद्र में वायसराय के अधिकार क्षेत्र में था।

हालांकि इस अधिनियम ने संसदीय प्रणाली के कुछ शुरुआती भाग तो लागू किए किंतु, यह संसदीय प्रणाली की छाया से अधिक नहीं था।

केंद्र में, आधिकारिक सदस्य बहुमत में थे, और नामित सदस्यों ने उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। P.N. मसालदान ने अपनी पुस्तक, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इंडिया में

उल्लेख किया है कि गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर किसी भी बिल को पारित करने के लिए अनिवार्य था, इसलिए, उसकी अनुमति के बिना किसी भी सुधार को निष्पादित नहीं किया जा सकता था।

गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिनियम की आलोचना अपने अवगुणों के लिए की। भारतीय नेताओं को पता था कि परिषदों में भारतीयों को नियुक्त करना सिर्फ एक छलावा था, क्योंकि इसमें प्रतिनिधि और जवाबदेह सरकार का कोई उल्लेख नहीं था।

केंद्रीय विधानमंडल के आधिकारिक सदस्य सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते थे, वे वोट नहीं डाल सकते थे। बिना पूर्व अनुमित के वे कोई सुझाव नहीं दे सकते थे। वे लंबे समय तक भाषण नहीं दे सकते थे। उन्होंने हमेशा गैर-आधिकारिक सदस्यों के किसी भी प्रगतिशील प्रस्ताव का विरोध किया।

यूरोपीय नामित सदस्य व्यावहारिक रूप से आधिकारिक थे। उन्होंने हमेशा सरकार के फैसलों का समर्थन किया। भारतीय जमींदारों और मुसलमानों ने केवल अपने लाभ पर ध्यान दिया। वे हमेशा ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे।

इस अधिनियम ने अप्रत्यक्ष रूप से सिख समुदाय को *पृथक निर्वाचन क्षेत्र* के लिए आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो सरकार के प्रति अपनी वफादारी के लिए इनाम की उम्मीद कर रहे थे।

अंत में, कांग्रेस ने इस अधिनियम के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि इस अधिनियम ने सांप्रदायिक मामलों को प्रोत्साहित किया। मुस्लिम-लीग ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया क्योंकि बंगाल का विभाजन उनसे सलाह लिए बिना ही रद्द कर दिया गया था। 1916 में, लखनऊ संधि के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहयोगी बने। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अलग चुनावी मांग को स्वीकार किया और लीग ने कांग्रेस के वर्चस्व को मान्यता दी।